

पट्टा करार

बीबीएमबी की भूमि और सम्पत्ति पर काबिज निजि व्यक्तियों के संबंध में पट्टा नीति, 2013 के अनुसार नया पट्टा पत्र के निबंधन एवं शर्तें:-

यह पट्टा पत्र, अपने कार्यकारी अभियन्ता, टाऊनशिप डिविजन, बीबीएमबी -----के माध्यम से भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड इसके बाद प्रथम पक्ष में 'पट्टाकर्ता' के रूप से संदर्भित और कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि सम्मिलित है और श्री/श्रीमतिपुत्र श्री (.....स्थान के वर्तमान कब्जाधारी) निवासीइसके बाद अन्य पक्ष में 'पट्टाधारी' के रूप में संदर्भित और कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि सम्मिलित है, के बीच किया गया। अब यह करार पत्र निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:-

धारा:- 1- परिभाषाएं

इस पट्टे में अभिव्यक्त:-

- क) 'पट्टाकर्ता' से तात्पर्य अपने कार्यकारी अभियन्ता, टाऊनशिप डिविजन, बीबीएमबी तलवाड़ा टाऊनशिप के माध्यम से पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 की धारा 80(6) के साथ पठित धारा 79(1) के अन्तर्गत गठित सवैधानिक निकाय भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, चण्डीगढ़ से है जिसमें इसके कार्यालय में उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि सम्मिलित है।
- ख) 'पट्टाधारी' से मैं तात्पर्य बीबीएमबी कालोनी में श्री/श्रीमति-----पुत्र/पुत्री श्री..... (वर्तमान मेंस्थल के कब्जेदार) से है और इसमें इनके कानूनी वारिस/उत्तराधिकारी सम्मिलित है।
- ग) 'स्थल' स्थल से तात्पर्य स्थल मानचित्र (अनुबन्ध-1) के अनुसार पट्टाधारी को प्रदान किए गए पट्टे के अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा पट्टाधारी द्वारा निर्मित बीबीएमबी के स्थल _____ संख्या.....और उसके प्रत्येक भाग से है।
- घ) 'अधीक्षण अभियन्ता' अधीक्षण अभियन्ता से तात्पर्य उस समय के अधीक्षण अभियन्ता से है। (परिमण्डल का नाम)
- ङ) 'कार्यकारी अभियन्ता' कार्यकारी अभियन्ता से तात्पर्य उस समय के लिए उपर्युक्त परिमण्डल के(मण्डल का नाम) के कार्यकारी अभियन्ता से है।

- च) 'भूमि का प्रीमियम मूल्य' भूमि का प्रीमियम मूल्य सम्बन्धित जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित भूमि पर होगा। पट्टा कार्यान्वित करते समय ग्राही द्वारा भुगतान योग्य आरंभिक धन राशि प्रचलित दरों के आधार पर शासित होगी। जहां कहीं क्षेत्र/कालोनी की राजस्व दर उपलब्ध नहीं है, कालोनी से सटे प्लॉट (दुकान के लिए) की जिला राजस्व दरों की औसत दर ली जाएगी।

धारा-2

इसमें आरक्षित पट्टा धन राशि के लिए और इसमें निहित निबंधन एवं शर्तों पर विचार करते हुए जिनका पट्टाधारी द्वारा पालन किया जाएगा पट्टाकर्ता एतद् द्वारा पट्टाधारी को.....माप के प्लॉट संख्यासैक्टर का पट्टा प्रदान करता है। जिसमें पट्टाधारी द्वारा पिछले आंगन में अतिक्रमित बीबीएमबी भूमि क्षेत्र सम्मिलित है जिसे तदानन्तर बीबीएमबी द्वारा नई पट्टा नीति के अनुसार, मुख्य अभियन्ता,.....के दिनांक..... के पत्र संख्याद्वारा नियमित किया गया है जिसका अनुबन्ध-1 पर संलग्न स्थल मानचित्र के शेड्यूल/प्लान में विशेष रूप से वर्णन एवं चित्रण किया गया है।

धारा-3

पट्टा आपकेवें दिन से आरम्भ होगा और प्रथम वर्ष की पट्टा धनराशि इसी तिथि को देय होगी एवं इसी दिन इसका भुगतान किया जाएगा। पट्टा नई पट्टा नीति, 2013 के अर्न्तगत पट्टाधारी द्वारा दिए गए विकल्प संख्याके अनुसार वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। पट्टा अवधि की समाप्ति पर, पट्टाधारी (धारियों) (पट्टाधारी) पट्टाकर्ता को भूमि, भूमि पर स्थित अचल सम्पत्ति सहित वापिस लौटाएंगे। नए पट्टों के लिए उनके मामलों पर उस समय लागू बीबीएमबी की नीति/निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा

धारा-4

वर्तमान कब्जाधारी (पट्टाधारी) इस आशय का एक शपथ पत्र देगा/देगी कि यदि वह किसी भी स्तर पर मूल ग्राही के विरुद्ध उनके मध्य किसी मुकदमेबाजी में अपना अधिकार सिद्ध करने में विफल रहता है/रहती है तो, वह पट्टा किए गए प्रांगण को अपने जोखिम एवं कीमत पर बीबीएमबी को हस्तांतरित करेगा/करेगी।

धारा-5

पट्टाधारी द्वारा यदि कोई ऐसा अतिक्रमण किया गया है जिससे बीबीएमबी सहमत नहीं है, तो उसे नए पट्टा करार के कार्यान्वयन से पूर्व उसे स्वयं हटाना होगा।

धारा-6

पट्टाधारी को उसे पट्टे पर दिए गए प्रांगण के पट्टाकर्ता को नए पट्टा पत्र के कार्यान्वयन से पूर्व नई पट्टा नीति के अनुसार बीबीएमबी के विभाग द्वारा यथा निर्धारित पहले से बकाया किराए क्षति प्रभारों की बकाया की रूपये की राशि का भुगतान करना होगा (गणना पत्र अनुबंध 2 पर संलग्न है)

धारा-7

आरम्भिक धन राशि/पट्टा राशि एवं वार्षिक पट्टा किराया निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रभारित किया गया है:-

| क्रम संख्या | मद | विकल्प-I | विकल्प-II | विकल्प-III |
|-------------|-------------------------------------|--|---|---|
| (i) | पट्टे की अवधि | 10 वर्ष तक | 30 वर्ष तक | 99 वर्ष तक |
| (ii) | आरम्भिक धन राशि | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल तक शून्य • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का 10% • तहखाने (Basement) के लिए प्रीमियम मूल्य का 10% | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल तक प्रीमियम मूल्य का 30% • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 10% • तहखाने के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 10% | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल तक प्रीमियम मूल्य का 90% • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 10% • तहखाने के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 10% |
| (iii) | आरम्भिक धन राशि के भुगतान की शर्तें | <ul style="list-style-type: none"> • 100% अग्रिम भुगतान | <ul style="list-style-type: none"> • 100% अग्रिम भुगतान अथवा • 50 % अग्रिम और शेष का भुगतान 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज | <ul style="list-style-type: none"> • 100% भुगतान अथवा • 50 % अग्रिम और शेष का भुगतान 10% प्रतिवर्ष के |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---|
| | | | सहित अगले 6 वर्षों में 6 बराबर किश्तों में | साधारण ब्याज सहित अगले 6 वर्षों में 6 बराबर किश्तों में |
| iv) | वार्षिक पट्टा धन राशि | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल का प्रीमियम मूल्य का 2.5% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • तहखाने के लिए प्रीमियम मूल्य अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल का प्रीमियम मूल्य का 2.5% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • तहखाने के लिए प्रीमियम मूल्य अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी | <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम तल का प्रीमियम मूल्य का 2.5% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • द्वितीय तल के लिए प्रीमियम मूल्य का अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी। • तहखाने के लिए प्रीमियम मूल्य अतिरिक्त 2% जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25% की वृद्धि की जाएगी |

उपर्युक्त तालिका और पट्टाधारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पट्टाधारी द्वारा बीबीएमबी (पट्टाकर्ता) को रुपये.....(केवलरुपये) की आरम्भिक धन राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तालिका में किए गए अनुबंध के अनुसार रुपये प्रतिवर्ष के वार्षिक पट्टा किराए का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपर्युक्त तालिका के अनुसार पट्टाधारी द्वारा दिए गए विकल्प संख्या

..... के तहत निर्दिष्ट अवधि के बाद पट्टा धनराशि/पट्टा किराए में वृद्धि की जाएगी।

धारा-8

पट्टाधारी इस पट्टे के तहत समस्त अथवा कुछ अधिकार उप किराएदारी अथवा अन्यथा अंतरित नहीं करेगा और पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना किया गया प्रत्येक अंतरण अथवा अंतरण का प्रयास अमान्य एवं पट्टाकर्ता के विरुद्ध होगा और करार का उल्लंघन होगा ।

धारा-09

पट्टाधारी, पट्टाकर्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना इमारत में बीबीएमबी की ओर बढ़ते हुए कोई अतिरिक्त निर्माण अथवा बदलाव नहीं करेगा। चूक की स्थिति में पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा और सार्वजनिक प्रांगण अधिनियम 1971 के अंतर्गत खाली करने की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

धारा-10

पट्टाधारी न्यायसंगत कार्य करने के लिए हर प्रकार के लागू अधिनियमों/कानूनों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अधिनियमों/नियमों/कानूनों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए पट्टाधारी पूर्णतया उत्तरदायी होगा। इस संबंध में पट्टाकर्ता का कोई दायित्व एवं जिम्मेवारी नहीं होगी। पट्टाधारी को संबंधित विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सबद्ध अधिनियमों/नियमों/कानूनों का उल्लंघन करने पर, पट्टाकर्ता एक महीने का अपेक्षित नोटिस देने के बाद पट्टा करार निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

धारा -11

पट्टाधारी स्थल का उपयोग केवल आंबटित उद्देश्य के लिए ही करेगा और किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा।

धारा -12

पट्टाधारी प्रांगण में स्वयं और/अथवा दूसरों को किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक अथवा अवैध व्यवसाय/व्यवसाय/संबंधित गतिविधियों में संलिप्त नहीं करेगा और दूसरों के लिए परेशानी की वजह उत्पन्न नहीं करेगा ।

धारा -13

पट्टाधारी पट्टे को पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति से टोकन शुल्क के रूप में पट्टा करार के समय लागू भूमि के प्रीमियम मूल्य के पहले अंतरण के लिए 1% और उसके बाद प्रत्येक अंतरण के लिए 5% का भुगतान कर पट्टे को हस्तांतरित कर सकता है यदि हस्तांतरण परिवार के सदस्यों (कानूनी वारिसों) के बीच है तो प्रत्येक अंतरण के लिए एक समान 1% की दर प्रभारित होगी।

धारा -14

इस पट्टे के चालू रहते यदि किसी समय पट्टाकर्ता को किसी कार्य के लिए इस स्थल की आवश्यकता होती है तो पट्टाकर्ता/कार्यकारी अभियंता..... के माध्यम से पट्टाधारी को तीन महीने का नोटिस देते हुए इस पट्टे को नियत करेगा और पट्टाधारी नोटिस अवधि की समाप्ति पर स्थल को शांतिपूर्वक ढंग से खाली करेगा और कब्जा छोड़ देगा।

- i) बशर्ते कि इस प्रकार पट्टे की समाप्ति पर और पट्टाधारी द्वारा कब्जे के शांतिपूर्ण न कि अन्यथा सम्पूर्ण पर, पट्टाधारी किसी अव्यतीत अवधि जिसके लिए पट्टाधन राशि का भुगतान किया गया हो, अग्रिम भुगतान की गई पट्टा धनराशि की आनुपातिक धन राशि वापिस पाने (बिना किसी ब्याज के) का पात्र होगा, यह राशि अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी और इस धारा के अन्तर्गत वापिस की जाने वाली राशि के बारे में उसका निर्णय अन्तिम और पार्टियों के लिए बाध्यकर होगा।
- ii) पट्टाकर्ता द्वारा उपधारा (i) के तहत पट्टे की समाप्ति की स्थिति में बशर्ते कि स्थल पर पट्टे का उल्लंघन करते हुए उठाए गए अतिरिक्त ढांचे/ईमारत की कोई कीमत भुगतान योग्य नहीं होगी। अवधि करार की धारा-14 के अंतर्गत परिस्थितियों में पट्टाधारी 3 (तीन) महीने के अन्दर ऐसे ढांचे के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री को हटाने का हकदार होगा। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद भूमि/ईमारतों में अथवा उसके ऊपर स्थित सभी ईमारतें, ढांचे सामग्री एवं वस्तुएं पट्टाकर्ता / बीबीएमबी के अधिकार में होगी और पूर्णतया उसकी सम्पत्ति हो जाएगी।
- iii) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि यदि पट्टाधारी, पट्टाकर्ता को स्थल का कब्जा शान्तिपूर्वक अभ्यर्पित/हस्तांतरित नहीं करता है तो पट्टाधारी इस धारा की उपधारा (i) में उपबंधित कोई किराया/ क्षतिपूर्ति लौटाए जाने का हकदार नहीं होगा।

धारा-15

किसी भी समय पट्टे के किराए का बकाया होने की स्थिति में, चाहे इसकी कानूनी रूप से मांग नहीं थी की गई हो, तो भी पट्टे की राशि के बकाया होने की अवधि के लिए पट्टाकर्ता द्वारा उपर्युक्त धारा नं. 7 में वर्णित पट्टा किराये का दोगुणा दण्डात्मक पट्टा किराया लगाया जाएगा। पट्टाधारी द्वारा नोटिस दिए जानें के बावजूद 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि /पट्टा किराया राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में, पट्टाकर्ता बिना किसी नोटिस के इस पट्टे को नियत करने हेतु सक्षम होगा और उसे ऐसे निर्धारण के बाद भूमि का पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रवेश करने और पट्टाधारी अथवा उसके अधीन अन्यथा उसके माध्यम से काबिज किसी व्यक्ति को वहां से हटाने का अधिकार, शक्तियां एवं प्राधिकार होगा और इस प्रकार भूमि का पुनःकब्जा करने पर अथवा इस पट्टे की समाप्ति पर पट्टाधारी द्वारा भूमि का कब्जा देने से इन्कार करने अथवा उसको

समाप्त किए जाने पर इस प्रकार पुनः कब्जा करते समय भूमि पर स्थित इमारतों, ढांचों सामग्रियों एवं वस्तुओं पर पट्टाकर्ता का अधिकार होगा और यह पूर्णतया उसकी सम्पत्ति हो जाएगी।

- i) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि पट्टाकर्ता द्वारा इस प्रकार पट्टे को समाप्त करने अथवा पट्टाकर्ता द्वारा स्थल पर पुनः कब्जा किए जाने के संबंध में पट्टाधारी किसी भी प्रकार का हरजाना/क्षतिपूर्ति अथवा भुगतान प्राप्त अथवा वसूल करने का हकदार नहीं होगा।
- ii) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में पट्टाधारी पट्टा किराया जमा करने के लिए 3 महीने की समय अवधि को आगे बढ़ाए जाने की अनुमति के लिए अधीक्षण अभियंतासे अपील कर सकता है और यदि वह इस शर्त में वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर बकाए जमा नहीं करने के वैध कारणों / अपरिहार्य परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद एक माह के भीतर अपील दायर करता है तो अधीक्षण अभियंताको पट्टाधारी की अपील निरस्त अथवा स्वीकार करने का अधिकार है और वह उचित समय के लिए अवधि आगे बढ़ाने की अनुमति देने अथवा कारण पर्याप्त समय नहीं होने / अस्पष्ट होने की स्थिति में अपील को निरस्त करने हेतु सक्षम है।

धारा-16

पट्टाधारी द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति अथवा धारा 14 (ii) के तहत नहीं अपितु इसके निर्धारण पर पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा स्वैच्छिक रूप से छोड़ने की स्थिति में, पट्टाधारी पट्टे के इस प्रकार के निर्धारण की समाप्ति के 3 (तीन) माह के भीतर इस करार की धारा-14 में यथावर्णित ढांचे की सामग्री को हटाने का हकदार होगा। पट्टाधारी द्वारा कथित अवधि में सामग्री हटाने में विफल रहने की स्थिति में भूमि/ स्थल पर स्थित सभी इमारतें/ढांचें, सामग्रियां एवं वस्तुएं पट्टाकर्ता के अधिकार में होंगी और पूर्णतया उसकी सम्पत्ति हो जाएगी।

धारा-17

इस पट्टे के समस्त निबंधन एवं शर्तों के अधीन और जब तक कि पट्टाधारी प्रत्येक का पूर्णतया पालन करेगा, पट्टाकर्ता एतद् द्वारा पट्टे पर दिए गए स्थान पर शांतिपूर्ण कब्जा रखने और उपभोग करने हेतु एतद् द्वारा आश्वस्त करता है।

धारा-18

पट्टाकर्ता अथवा इसके अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी उचित समय पर और उचित ढंग से लिखित अथवा मौखिक रूप से जैसाकि मामला हो, नोटिस देने के बाद संभवतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि पट्टाधारी द्वारा इस करार के तहत निष्पादित एवं पालन किए जाने वाले सभी अनुबंधों एवं शर्तों का उसने विधिवत

निष्पादन एवं पालन किया है, स्थल अथवा उस पर बनाई गई इमारत में अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश कर सकता है।

धारा-19

पट्टा कर्ता को पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा कि वह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से किसी भी समय इसमें निहित सभी अथवा किन्हीं निबन्धन एवं शर्तों का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक अथवा व्यवहारिक समस्त कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करने की लागत पट्टाधारी से वसूल करें।

धारा-20

पट्टाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बिजली एवं जल आपूर्ति सुविधाओं के मामले में पट्टाधारी आबंटित भू-खण्ड और उस पर बनाई गई इमारत के कब्जों में रहने की अवधि के दौरान हमेशा, मांगे जाने पर समस्त संरक्षण, विद्युत एवं जलप्रभारों, करों और समय समय पर लगाए गए अन्य निर्धारणों को नियमित रूप से भुगतान करेगा। चूक की स्थिति में पट्टाधारी से नियमानुसार दण्डात्मक प्रभार वसूल किया जायेगा।

धारा-21

इस पट्टे की पार्टियां सहमत हैं कि इसमें स्टैंप ड्यूटी का वहन पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा जिसे इसका अपनी लागत पर स्थानीय उप निबंधक/तहसील/उप-तहसीलदार के कार्यालय में करार/डीड का पंजीकरण भी करवाना होगा।

धारा-22

संपत्ति गृह कर अथवा लगाए किसी अन्य नगर पालिका कर और तदन्तर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई बढोतरी का भुगतान पट्टाधारी को करना होगा और पट्टाकर्ता (बीबीएमबी) की इस संबंध में कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, सेवा शुल्क, यदि लागू हो तो, उसका भुगतान अलग से करना होगा।

धारा-23

पट्टाधारी को, एतद् द्वारा हस्तांतरित किए गए भू-खण्ड अथवा उस पर बनाई गई किसी इमारत पर, इसके बाद इस पट्टे के जारी रहने के दौरान पट्टाकर्ता अथवा पट्टाधारी पर इसके संबंध में किसी भी समय निर्धारित प्रभारित, आरोपित की गई किसी भी प्रकार की दरों, करों, प्रभारों एवं निर्धारणों का समय समय पर सदैव भुगतान करना होगा।

धारा-24

पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर पट्टा करार के निष्पादन के बाद पट्टाधारी द्वारा बीबीएमबी के अनुमोदन के बिना किए गए किसी अतिरिक्त निर्माण बदलाव अथवा उप किराएदारी के मामले में इसके लिए वार्षिक यथा धन राशि के 50% तक का अतिरिक्त प्रभार प्रत्येक वर्ष देय होगा। चूक की स्थिति में पट्टा निरस्त कर

दिया जाएगा और सार्वजनिक पट्टा अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

धारा-25

पट्टे की समाप्ति पर, सभी भागों से मुक्त भूमि, बिना किसी कीमत के पट्टाकर्ता को वापस हो जाएगी।

धारा-26

किसी भी धारा, वाक्यांश/शब्दों की व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में पट्टाकरार के हिन्दी/पंजाबी रूप से इसके अंग्रेजी रूप को अधिक महत्व दिया जाएगा।

धारा-27

इस पट्टा करार के निबंधन एवं शर्तों के किसी उल्लघन की स्थिति में, पट्टाकर्ता को पट्टाधारी को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद पट्टा निर्धारण करने का अधिकार होगा। इस पट्टे के निर्धारण के बाद पट्टाधारी नोटिस अवधि के समाप्त होने पर, स्थल को शांतिपूर्वक खाली करेगा और पट्टाकर्ता को इसका कब्जा दे देगा। संपदा अधिकारी, बीबीएमबीसंबंधित अधिनियमों के अंतर्गत किन्हीं बेदखली के मामलों का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी होगा।

इसके बाद निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पार्टियों ने साक्ष्य स्वरूप अपने नाम, स्थान एवं तिथि अंकित कर दी है।

पट्टाकर्ता की ओर से कार्यकारी अभियन्ताद्वाराकोतिथि को हस्तांतरित एवं प्रदत्त।

पट्टाधारी की ओर से

श्री.....द्वारा.....की.....तिथि को हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त।

(पट्टाकर्ता की ओर से)

अर्थात् कार्यकारी अभियन्ता

.....

(पट्टाधारी की ओर से)

पट्टाकर्ता के गवाह

1. _____

पट्टाधारी के गवाह

1. _____

2. _____

की उपस्थिति में।

2. _____

की उपस्थिति में।